सुरक्षित व जोखिम रहित नाव परिचालन

By Mukul Kumar,Save the Children

यात्री नाव से क्या अभिप्राय है –

यात्री नाव का अर्थ है कि वह कोई भी नाव जो सामान्यतः नाविक अथवा माँझी अथवा वोट मैन से भिन्न व्यक्तियों को ढोती है, यात्री नाव कहा जाता है ।

नौका निबन्धन क्या और क्यों है –

बंगाल नाव घाट अधिनियम 1985 के अन्तर्गत आदर्श नाव संचालन नियमावली बिहार सरकार 2011 के तहत उन सभी नावों का पंजीयन कराना ताकि कोई दुर्घटना होने पर उनकी पहचान की जा सके और सरकार के पास भी नावों का एक आँकड़ा रहे जिससे यह पता चले कि इस जिले मे कुल कितनी नावें चल रही है और यदि कभी बाढ़ आती है तो इन नावों की मदद ली जा सकें ।

नावों के निबन्धन के लिए एम. भी. आई. कार्यालय से नाव पंजीकरण फार्म लेकर नाव मालिक इसे भरकर कार्यालय मे जमा कर सकते है उसके आधार पर एम. भी. आइ. कार्यालय के प्रतिनिधि गाँव मे या नाव स्थल पर जाकर नाव का स्थलीय निरीक्षण करेगे तथा मानदण्डों को पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश देगे यदि नाव मालिक की नाव मानदण्डों को पूरा करती है तों उस नाव का पंजीकरण सुनिश्चित करके उनकों पंजीकरण का प्रमाण पत्र दिया जायेगा ।

पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र – नावों के निबन्धन / पंजीकरण के लिए आवेदन प्रपत्र नाव स्वामी द्वारा निबन्धन पदाधिकारी को लिखित रूप मे दिया जायेगा । नाव के निबन्धन हेतु आवेदन प्राप्त होने पर निबन्धन पदाधिकारी नियम 22 के तहत यथापेक्षित नाव की मापी के लिए नाव सर्वेक्षक को निर्देश देगा और नियम 32 मे बिहित शुल्क की अदायगी पर विशिष्टियों की प्रविष्टि प्रपत्र मे संधारित होने वाली निबंधन पंजी मे करेगा

निबन्धन का रददीकरण –

नाव की निबन्धन संख्या उनके सम्पूर्ण कार्यरत जीवन तक एक पहचान संख्या के रूप मे बना रहेगा जब तक कि –

नाव स्वामी के अनुरोध पर इसे रद्द नही किया जाता ।

नाव की अनुज्ञप्ति लगातार दो वर्षो तक नवीनीकरण नही करायी जाती ।

नाव सर्वेक्षक द्वारा नाव को अग्रतर सेवा के अयोग्य घोषित नही कर दिया जाता ।

नाव पर खुदे संख्या मिट नही जाते ।

नाव अनुज्ञप्ति की शर्ते –

नाव निबन्धन हेतु निम्न लिखित मानकों / शर्ते को ध्यान मे रखा जायेगा ।

नाव अच्छी हालत मे हो और यात्री तथा माल ढोने के लिए उपयुक्त है और नियमो के अनुरूप है ।

आदर्श नियमावली के नियम 22 के उपनियम 4 के तहत वि हित तरीके से नाव का टनेज निर्धारित किया जाता है । नाव के सुरक्षित संचालन हेतु चालक दल की संख्या इन नियमों के नियम 25 एवं 26 मे विहित मापदंण्ड के अनुरूप होनी चाहिए ।

लोड लाइन चिन्हित करना ।

गहराई को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक नाव मे काले पृष्टभूमि मे सफेद रंग से पेंट किया हुआ 30 सेंटी मी0 लम्बा , 15 सेंटीमीटर चौडा और 2.5 सेटी0 खुदा या जडा स्पष्ट चिन्ह के द्वारा लोड लाईन चिन्हित किया जायेगा ।

लोड लाइन नाव सर्वेक्षक के समक्ष निबंधन के समय वाहन स्वामी द्वारा चिन्हित किया जायेगा ।

नौका की भार वाहन क्षमता का निर्धारण तथा व्यक्तियों की संख्या का निर्धारण।

- यात्रियों की संख्या, जो एक यात्री नाव ढो सकता है, निर्धारण के लिए यात्रियों के लिये सुलभ फर्श स्थान का वर्गमीटर में सतही क्षेत्रफल को 1.8 से गुणा किया जाएगा तथा गुणनफल यात्रियों की संख्या होगा, जिसे ढोने के लिए नाव अनुज्ञापित की जा सकेगी
- जिस नाव में सवारी के बैठने के लिए बेंच या थवार्टस का प्रावधान हो वहॉ बैठने के स्थान के प्रत्येक मीटर लम्बाई के लिए दो व्यक्ति की दर से ढोये जा सकने वाले यात्रियों की संख्या का निर्धारण किया जाएगा

- जब नाव सवारी तथा माल से लोडलाइन तक पूर्णरूपेण लदा हुआ हो, यात्रियों की अधिकतम अनुमान्य संख्या का 2/3 नाव के एक तरफ भेजने तथा शेष 1/3 दूसरे तरफ रखने पर जल के अंदर निमग्न भाग मुक्तांश का 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होना चाहिए । यदि यह बढ़ जाता है तब सवारियों की अधिकतम संख्या में तदनुसार कमी की जाएगी
- किसी भी परिस्थिति में लोड लाइन डुबाकर नौका का परिचालन नहीं किया जाएगा या सर्वेक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट अधिकतम संख्या से ज्यादा सवारी का वहन नहीं किया जाएगा
- नाव के प्रमुख स्थान पर वहन किए जाने वाले सवारियों की अधिकतम संख्या अंकित किया जाएगा
- चालक दल के अतिरिक्त सवारियों की संख्या, जिनका वहन किया जा सकता है, निर्धारण के लिए 12 वर्ष से कम आयु के 2 बच्चों की गिनती एक व्यक्ति के रूप में की जाएगी तथा प्रति 65 कि. ग्रा. सामान की गिनती एक व्यक्ति के समतुल्य की जायगी ।

चालक दल कि संख्या

प्रत्येक मालवाहक नाव में न्यूनतम चालक दल निम्नवत् होगे:–

- 20 टन भार तक नाव के लिए – 2 नाविक
- 20 टन भार से अधिक नाव के लिए–3 नाविक

यात्री नावों के लिए चालक दल निम्नवत होगा–

- 15–30 व्यक्तियों तक को ढ़ोने वाली नाव – 2 नाविक
- 30 से अधिक व्यक्तियों को ढ़ोने वाले व्यक्तियों को ढ़ोने वाले नाव – 3 नाविक

चालित यात्री नावों के संदर्भ में नियम 28 के तहत वांछित शर्त्तें अनुपालित हैं–

- सामान्यतः नाव सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच परिचालित की जाएगी;
- परन्तु यह कि आपातस्थिति में रात्रि उपयोग के

लिए, विशेष प्रकाश–व्यवस्था जो नाव सर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित की जाएगी, आवश्यक होगी।

सुरक्षित नाव संचालन के लिये नाव में आवश्यक उपकरण व सुरक्षा के मानक निम्नवत निर्धारित किये गये हैं–

- नाव में जमा पानी को उलीचने अथवा अन्य रीति से निष्कासन के लिए पर्याप्त उपकरण जैसे बाल्टी, छिपली या अन्य पात्र ।
- सुरक्षित नौकायन के लिए कारगर जमीनी टैक्ल, एन्करिंग तथा अन्य उपकरण और आवश्यक प्रकाश श्रोत उपलब्ध हैं।
- नाव में न्यूनतम दो जीवन रक्षक छल्ले एवं एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध है।
  यदि नाव, यदि इंजनयुक्त हो, में अग्निशामक उपलब्ध है;
- यात्री–नाव के मामले में, सवार किए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या मुख्य स्थान पर यात्रियों के सूचना हेतु चिन्हित की गयी है।
- **नाव मे एकत्रित पानी का निष्कासन**
- नाव का चालक दल यह सुनिश्चत करेगा कि नाव के पेंदे में जब–जब पानी एकत्रित हो, पम्प द्वारा या उलीचकर सुरक्षित नौका परिचालन हेतु निष्कासित कर दिया जायगा ।

बाढ पूर्व तैयारी के लिए नाविको हेतु सुझाव

- अपनी – 2 नावों का जिला परिवहन/ तहसील कार्यालय मे पंजीकरण करवाना ।
- अपनी– अपनी नावों का मरम्मतीकरण करवाना – जैसे टूटी हुई लकडी को बदलवाकर नयी लकड़ी लगवाना , नाव के गॉसों मे रस्सी / सुतली भरवाना
- उखडी/ निकली हुई कीलों को पुनः ठीक करवाना, नाव के बीच में बनी लकडियों की मजबूती की जाँच करना तथा यदि आवश्यक हो तो उसकी मरम्मतीकरण , पतवार का मरम्मतीकरण करवाना । नाव मे अलकतरा लगवाना तथा इसे ठीक से सुखाना और नदी मे डालना , नाव मे अधिकतम तथा न्यूनतम बैठ सकने वाले व्यक्तियों की संख्या दर्शाना पतवार का मरम्मतीकरण, नाव मे जोखिम चिन्ह/ लोड लाइन को सफेद या किसी गाढे रंग से प्रदर्शित करना आदि।
- नाव नदी मे डालने से पहले यह सुनिश्चित करना कि नाव पर रखे जाने वाले संसाधन – जैसे – लाईफ जैकेट, टार्च, मेगाफोन , रस्सी, लंगर, बांस का लग्गा, हवा भरा हुआ जीप अथवा बस का टायर आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।
- किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्थानों से नाविकों का प्रशिक्षण ।
- नाव पर बाल्टी, मग व पोलीथिन भीट की ब्यवस्था को सुनिश्चित करना

बाढ़ के दौरान क्या करे ।

- नावों का संचालन सुर्योदय के बाद यानि आठ वजे के बाद व सायं 5 बजे तक ही करेंगे ।
- नाव क्षमता के बराबर या कम भार या व्यक्तियों को ही चढायेंगे ।
- नाव यदि छूटते ही आँधी या तेज बरसात होना प्रारम्भ होता है तो नाव वापस सुरक्षित वापस लायेंगे ।
- नाव पर – लाईफ जैकेट, टार्च, मेगाफोन , रस्सी, लंगर, बाँस का लग्गा, हवा भरा हुआ जीप अथवा बस का टायर आदि सही हालत मे अवश्य रखेंगे ।
- नजदीकी गोताखोरों व आापदा प्रबन्धन विभाग के पदाधिकारियों का मोबाइल नम्बर अवश्य ही नाव पर चस्पा करके रखेंगे ।
- नाव पर नाव संचालन हेतु प्रशिक्षित तीन व्यक्ति अवश्य रहेगे, जो नाव का संचालन करेंगे ।
- नाव पर यात्रियों को लाईन से चढायेंगे तथा बारी –2 से लाईन से उतारेंगे ।

बाढ़ के दौरान क्या न करें ।

- नाव पर यात्रियों के बीच मे आपस मे भगदड़ न मचने दें ।
- यदि जोखिम का आभास हों तो यात्रियों के दबाव मे नाव का संचालन न करें ।
- उस स्थिति मे यदि कोई यात्री घमकाता है या डराता है तो इसकी सूचना अविलम्ब नजदीकी थाने अथवा क्षेत्राधिकारी कार्यालय को दें ।
- यात्रियों को नाव संचालन की अनुमति कभी ना दे ।
- जब तक प्रशिक्षित चालक नहीं आ जाते तब तक नाव को संचालित न होने दें ।
- खतरा को भाँपते ही नाव पर रखा मेगाफोन का सायरन बजाने मे कतई देर न करें ।
- जिला आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा नाव संचालन हेतु जारी किये गये निर्देशों की अवहेलना ना करें ।

नाव के प्रभारी व्यक्ति का उत्तरदायित्व–

किसी अनुज्ञापित नाव का स्वामी, अभिकर्त्ता या प्रभारी व्यक्ति यह सुनिश्चित करेगा–

- कि इन नियमों के अंतर्गत वांछित चालक दल नाव में उपलब्ध कराया जाता है;
- कि नाव पूर्णरूप से शुष्क एवं साफ रखी जाती है;
- कि इन नियमों के तहत यथा वांछित निबंधन संख्या सुस्पष्ट रूप से अंकित है;
- कि नाव में अनुज्ञप्ति धारित है;
- कि अनुज्ञप्ति में भी विनिर्दिष्ट उपस्कर नाव में रखे गये हैं और अच्छी हालत में संधारित है;
- कि मालवाहक नाव का लोडलाइन सुस्पष्ट रू॰ से चिन्हित है;
- कि मालवहन की स्थिति में नाव में इतना सामान नहीं लदा है कि भार जल आरेख सूचक चिह्न जल में डूब जाय;
- कि इस नियमावली में विर्निदिष्ट तरीके से सवारियों की अधिकतम संख्या प्रमुखता से अंकित है;

नाव के प्रभारी व्यक्ति का उत्तरदायित्व—

- कि नाव में, यदि यात्रियों को ले जा रही हो,उस संख्या, जितने के लिये यह अनुज्ञापित है से अधिक व्यक्ति नहीं बैठाये जाते है;
- कि नाव सुरक्षित संचालन हेतु आवश्यक प्रकाश श्रोत या लैम्प से सुसज्जित है;
- कि किसी भी परिस्थिति में अन्य यात्रियों के साथ नाव में पशु को रखने की अनुमुमति नहीं देगा ।
- यदि किसी यात्री के साथ पशु है तो वैसी परिस्थिति में नाव के चालक दल के अतिरिक्त मात्र संबंधित पशु एवं उसके मालिक को ही सफर करने की अनुमति देगा ।

नौका संचालन में नाविकों के व्यवहार।

- नाविक नौका चालन के दौरान या पहले शराब का सेवन नही करेगा;
- किसी को अपशब्द या दुर्बचन नही बोलेगा;
- यात्रियों के साथ मित्रवत ब्यवहार रखेगा
- लेकिन नियमों के पालन में सख्ती रखेगा;
- किराया हेतु परिचालित किसी अनुज्ञापित नाव का प्रभारी व्यक्ति बिना समुचित कारण के उचित किराया दे रहे यात्री को उस नाव में सवार कराने से इन्कार नहीं करेगा।

यात्रियों का अस्वीकारने की शक्ति

- उचित किराया अदा नहीं करता है।
- विक्षिप्त है।
- शराब के नशे में मदहोश और स्वयं का ख्याल रखने में अक्षम है,।
- उपद्रवी है और अन्य यात्रियों के लिये परेशानी पैदा करता है, और जब नाव अपनी पूरी क्षमता में लदी हुई हों ।
- किसी पशु के साथ यात्रा करना चाहता हो एवं नाव में अन्य यात्री सवार हो।

नौका संचालन में यात्रियों के व्यवहार।

- **यात्री–आचरण**
- कोई यात्री अपने साथ खतरनाक सामग्री या आग्नेयास्त्र या सड़ी–गली सामग्री अथवा अन्य आक्रामक वस्तु किसी नाव पर नहीं ले जायगा
- किसी नाव का कोई यात्रीः–
- नाविक, मॉझी या चालक दल को उनके कर्त्तव्य निष्पादन में व्यवधान नहीं डालेगा,
- नाव अथवा नाव पर किसी वस्तु को क्षति नहीं पहुॅचाएगा अथवा क्षति पहुॅचाने का प्रयास नहीं करेगा
- शराब के नशे में मदहोश और उपद्रवी अथवा मदहोश और स्वयं का ख्याल रखने में अक्षम नहीं बनेगा
- उत्पाती या अशोभनीय कृत्य अथवा अश्लील या अपमानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करेगा
- बिना विधिसम्मत सफाई के किसी यात्री के आराम में खलल नहीं डालेगा ।

घाटों पर लगायी जाने वाली नियमावली पर चर्चा

जैसे–

- नाव संचालन की समय सारिणी ।
- मानिटरिंग / देख / रेख करने वाले सदस्यों के नाम की सूची ।
- नाव पर रखे जाने वाले आवश्यक संसाधनों की सूची, जैसे – लाईफ जैकेट, टार्च, मेगाफोन , रस्सी, लंगर, बॉस का लग्गा, हवा भरा हुआ जीप अथवा बस का टायर आदि
- गॉव के मुखिया व सरपंच तथा अन्य गणमान्य ब्यक्तियों के नाम व मोबाइल नम्बर ।
- नजदीकी पुलिस स्टेशन व बाढ नियंत्रण कक्ष के पदाधिकारियों का मोबाईल नम्बर ।
- नजदीकी एन. डी. आर. एफ./ एस. डी. आर. एफ. के सदस्यों के मोबाइल नम्बर ।

किसी आपात स्थिति में क्या करें, किसे सूचित करें?

- नाविकों के पास स्थानीय पुलिस थाना, मुखिया, गोताखोर, तथा जिला व प्रखण्ड प्रशासन के संपर्क नम्बर आदि नोट करवाना तथा इन नम्बरों का घाटों पर लिखित रूप से तथा दूर से देखने योग्य होना चाहिये। इसके लिये सामूहिक रूप से ग्राम पंचायत द्वारा क्या व्यवस्था होनी चाहिये विचार

कर निर्णय लिया जाय।

सुरक्षित और असुरक्षित नाव

राज्य में नाव दुर्घटना में बहुमूल्य जिंदगियाँ मौत की गोद में चली जा रही हैं। हम सब इसे रोक सकते हैं। अगर हम नाव दुर्घटना से बचने के उपाय कर लें।

नाव दुर्घटना से बचने के उपाय, नाव पर सवार होने से पहले

रुकिए! सोचिए!

नाव की सवारी करने वाले कृपया ध्यान दें :

- जिस नाव पर पंजी करण संख्या अंकित हो उसी नाव से यात्रा करें।
- जिस नाव पर लदान क्षमता दर्शाते हुए सफ़ेद पट्टी का निशान लगा हो उसी नाव से यात्रा करें।
- देख लें किसी भी स्थिति में ओभर लोडेड नाव पर न बैठें।
- नाव चलने के पहल देख लें कि लदान क्षमता दर्शाने वाला सफ़ेद पट्टी का निशान डूबा तो नहीं है। अगर डूबा है तो तुरन्त उतर जायें।
- जब बारिश हा रही हो तो नाव की यात्रा न करें।
- छोटे बच्चों को अकेले नाव की यात्रा न करने दें।
- जिस नाव पर जानवर ढ़ोये जा रहे हों तो उसमें यात्रा न करें।
- जर्जर/टूटी-फूटी नाव पर सवारी न करें। यह जानलेवा हो सकती है।
- जिस नाव पर जीवन रक्षा के लिए लाईफ जैकेट, लाईफ बॉय, हवा भरे टयूब, रस्से आदि ठीक तरीके से रखे हों उसी नाव से यात्रा करें।
- नाव में यात्रा के दौरान शांत बैठें व उतरते-चढ़ते समय क्रम से ही नाविक के निर्देशानुसार उतरें व चढ़ें। सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद नाव की यात्रा न करें। यह खतरनाक हो सकती है।
- नाव यात्रा के दौरान किसी तरह की जल्दीबाजी न दिखाएँ और नाविक के ऊपर किसी तरह का दबाव न डालें।

नाविक कृपया ध्यान दें :

- जब बारिश हो रही हो तो नाव का संचालन न करें।
- जिस नाव पर 15 से 30 लोगों तक सवारी बैठती हो तो उस नाव पर 2 नाविक होना अनिवार्य हैं तथा 30 से ऊपर बैठाने वाली बड़ी नाव पर 3 नाविकों का होना अनिवार्य है।
- किसी यात्री को किसी भी दशा में नाव संचालन न दें।
- नाव पर किसी तरह का नशा सेवन करने से यात्रियों को रोकें।
- जिस नाव में जानवर ढोया जा रहा हो तो उस नाव में जानवर के मालिक के अलावा अन्य सवारी ना बैठाएँ।
- किसी भी तरह की नाव, चाहे उस पर सवारी ढोयी जा रहा हो अथवा जानवर या सामान, सभी नाव पर लदान क्षमता का निशान लगाना अनिवार्य है।
- नाव पर ऐसा कोई भी सामान या खतरनाक सामाग्री, साँप आदि नहीं ढोया जाएगा जिससे अन्य यात्रियों को किसी प्रकार का खतरा उत्पन्न होता हो।
- नाव से पानी निकालने/उलीचने के लिए नाव में आवश्यक बर्तन रखें।
- रात में नाव का परिचालन न करें। यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकार और विशेष रोशनी के साथ करें।

ज़िला प्रशासन कृपया ध्यान दें :

- बिना निबंधन के कोई भी नाव चाहे वह किसी भी उद्देश्य (व्यक्तिगत/संस्थागत) के लिए प्रयोग की जा रही हो, उसका परिचालन गैर कानूनी है। बग़ैर निबंधन के नाव का परिचालन नहीं होने दें।
- नावों में अलग से डीजल इंजन /मशीन बिना सक्षम प्राधिकार के अनुमति के नहीं लगाया जा सकता है। इसे सुनिश्चित किया जाए। लगाने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी की अनुमति आवश्यक होगी। बिना अनुमति के डीजल इंजन /मशीन लगाना गैर कानूनी होगा।
- घाटों पर प्रशिक्षित तैराकों , गोता खोरों एवं नजदीकी पुलिस थाना का फोन नंबर अवश्य प्रदर्शित कराया जाए।
- सुनिश्चित किया जाए की नावों कि लगान क्षमता के तथा सफेद पट्टी का निशान हर हाल में अंकित रहे ताकि यात्रि समझ सकें कि नाव में कितने लोगों के बैठने की क्षमता है।
- नाव संचालन के संबंध में बिहार सरकार के बंगाल नौ-घाट अधिनियम, 1885 के अधीन आदर्श नियमावली, 2011 के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।
- मॉनसून अवधि में सुर्यास्त के पूर्व एवं 5.30 बजे शाम के बाद नाव के परिचालन पर रोक लगा दी जाए

नाव की दुर्घटना रोकने के लिए हम सभी को साझे रूप से जिम्मेवारी लेनी होगी। थोड़ा व्यवहार परिवर्तन एवं थोड़ी सजगता से नाव दुर्घटना में मौतों को रोका जा सकता है।

NOKIA

सुरक्षित नौका परिवहन

Save the Children

1. नावों का निबंधन एवं परमिटः–बंगाल फेरी अधिनीयम, 1885 के अन्तर्गत गठित उपर्युक्त आदर्श नियमावली में जिला दण्डधिकारी को फेरी के निबंधन की शक्ति प्राप्त हैं। यंत्रचालित नाव अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के अधीन आते है, अतएव उक्त अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित अन्तर्देशीय वाष्प पोत निबंधन नियमावली, 1951 की धारा 19 बी० उप धारा (1) के तहत अधिसूचना संख्या – 11 दिनांक – 10.02.2006 निर्गत की गई हैं निबन्धन पदाधिकारी उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (1) के तहत घोषित सर्वेक्षक, मोटर यान निरीक्षक के तकनीकी निरीक्षण के उपरान्त नाव का निबंधन कर सकेंगे। यंत्रचालित नावों के निबंधन के क्रम में मोटर यान निरीक्षण तकनीकी दृष्टि से मूल्यांकन कर निर्माण की गुणवत्ता को प्रमाणित करेंगे। बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 तथा उसके अन्तर्गत निर्गित आदर्श नियमावली में आवश्यकतानुसार फेरी की संख्या निर्धारित करने की शक्ति प्रमण्डलीय आयुक्त एवं जिला दण्डाधिकारी को पूर्व से ही प्राप्त है।

2. घाटों का निबंधन :–बंगाल फेरी एक्ट, 1885 की धारा–7 से धारा – 16 तक में घाटों के स्थानों का निर्धारण, नियंत्रण, पर्यवेक्षण आदि की शक्ति जिला दण्डाधिकारियों को प्राप्त है। अतः इनकी सुरक्षा आदि की व्यवस्था पर ध्यान दिया जायेगा।

3. चालक अनुज्ञप्ति (क) :–साधारण नाव के संदर्भ के लिए तैरने तथा नौ परिवहन (नेभीगेशन) एवं आपात स्थिति से निबटने का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त होना न्यूनतम योग्यता है, जिसे समर्पित करने पर अनुज्ञप्ति पदाधिकारी द्वारा मान्यता दी जा सकती है।

(ख) यंत्र चालित नाव के संदर्भ में अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 की धारा 23 के आलोक में राज्य सरकार मोटर यान निरीक्षक के जांच प्रतिवेदन के आधार पर जिला परिवहन पदाधिकारी को मर्चेंट शीपिंग एक्ट, 1958 में विहित योग्यताधारी व्यक्ति को अथवा राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नेभीगेशन इन्स्टीच्यूट, गायघाट, पटना सिटी (एन० आई० एन० आई०) से प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति को धारा 22ए के तहत अनुज्ञप्ति निर्गत करने की शक्ति प्रदान की गई है।

4. चालको का प्रशिक्षणः–भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन प्राधिकार द्वारा पटना के गायघाट में राष्ट्रीय अन्तर्देशीय नेभीगेशन इन्स्टीच्यूट में चालकों का प्रशिक्षण कराने की व्यवसाी है।

5. बीमाः–अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 के चैप्टर VI के बीमा के संबंध में प्रावधान है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के इस संबंध में सभी प्रावधान यथावत् लागू होगें।

6. जाँचः– अन्तर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 एवं बंगाल फेरी एकट, 1885 में जांच, जप्ती, निबंधन को निलम्बित / अनुज्ञप्ति रदद करने आदि हेतु पर्याप्त प्रावधान है, जिसके लिए जिला दण्डाधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन को शक्तियाँ प्राप्त है। भारतीय दंड विधान 280 एवं 282 में भी आपराधिक मामला दर्ज कर जांच एवं दण्ड का प्रावधान हैं

7. लोड लाइन चिन्हित किया जानाः (i) बंगाल फेरी एकट, 1885 में प्रावधान है कि गहराई को रेखांकित करने के लिए प्रत्येक नाव में काले पुष्ठभूमि में सफेद रेग से पेंट किया हुआ 30 से० मी० लम्बा, 15 से०मी० चौड़ा, 2.5 से० मी० खुदा या जड़ा स्पष्ट चिन्ह् के द्वारा लोड लाईन इंगित रहेगा।

(ii) मुक्तांश या सम्पूर्ण क्षमता से लदान पर डूब सकने वाली अधिकतम लोड लाइन नाव सर्वेक्षक के समक्ष निबंधन के समय वाहन स्वामी द्वारा चिन्हित किया जाएगा।

8. नाव अनुज्ञप्ति की शर्तेः बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 में प्रावधान है कि किसी नाव के संदर्भ में अनुज्ञप्ति की मंजूरी नही दी जायेगी जब तक कि नाव का सर्वेक्षण नाव सर्वेक्षक द्वारा नहीं कर लिया गया हो और वह स्वयं को संतुष्ट कर लिया हो कि निम्नांकित शर्ते पूरी कर ली गई है यथा:–

(क) कि नाव अच्छी हालत में है और माल एवं यात्री ढोने हेतु उपयुक्त है और इन नियमों के अनुरुप है।

(ख) कि बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 के नियम 22 के उपनियम 4 के तहत विहित तरीके से नाव का लदान निर्धारित किया गया है।

(ग) कि ऐसे नाव के सुरक्षित परिचालन के लिए वांछित चालक–दल की संख्या विहित मापदेड के अनुरुप हो।

(घ) कि ऐसे नाव में जमा पानी को पम्प करने, उलीचने अथवा अन्य रीति से निष्कासन के लिए पर्याप्त उपकरण और सुरक्षित नौकायन के लिए कारगर जमीनी उपाय एन्करिंग तथा अत्य उपकरण और आवश्यक प्रकाश श्रोत उपलब्ध है।

(ड़) कि बंगाल फेरी अधिनियम, 1885 के नियम 23 के उपनियम 2 में विहित तरीके से पूरी क्षमता से लदी नाव के मुक्तांश का निर्धारण किया गया है।

(च) कि नाव में न्यूनतम दो जीवन रक्षक लाइफब्याय एवं एक प्राथमिक चिकित्सा पेटी उपलब्ध है।

(छ) कि नाव, यदि इंजनयुक्त हो तो उसमें अग्निशामक यंत्र उपलब्ध होना आवश्यक है।

(ज) कि यात्री–नाव के मामले में सवार किए जा सकने वाले यात्रियों की अधिकतम संख्या मुख्य स्थान पर यात्रियों की सूचना हेतु चिन्हित की गयी है।

(झ) कि वाह्य बोर्ड या समरुप उपकरणों से चालित यात्री नावों के संदर्भ में नियम 28 के तहत वांछित शर्ते अनुपालित है।

(ञ) सामान्यतः नाव सूर्योदय एवं सूर्यास्त के बीच परिचालित की जाएगी, परन्तु आपातस्थिति में रात्रि उपयोग हेतु विशेष प्रकाश–व्यवस्था आवश्यक होगी, जो नाव सर्वेक्षक द्वारा अनुमोदित की जाएगी।

Road to School is not always one,
it is diverse

From Home to School to Home

THANK YOU

RISK ON THE WAY TO SCHOOL
Resources Available in School
(SDMC) हरकेश नगर प्रतिभा विद्यालय
Risk Assessment
Resource Mapping
School Hazards Hunt Process